**उत्तर प्रदेश शासन**

**खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग**

**संख्या-1/997/58-2-2013-10/2012टी0सी0-1**

**लखनऊः दिनांक- 06 दिसम्बर, 2013**

**कार्यालय- ज्ञाप**

श्री राज्यपाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अन्तर्गत संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए परियोजना प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार निम्नवत् प्रतिनिधानित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति के प्रदान करते हैं :-

| क्रमांक | परियोजना का नाम | एस0एल0एस0सी0 (सब कमेटी के अध्यक्ष/सक्षम स्तर) |
|---|---|---|
| 1. | ऐसी समस्त परियोजनायें/ योजनायें जिनमें रू0-10.00 लाख से अधिक का अनुदान अनुमन्य हो । | कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन |
| 2. | ऐसी समस्त परियोजना/योजनायें जिनमें रू0-10.00 लाख तक का अनुदान अनुमन्य हो। | प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 शासन |

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

**( कैलाश प्रकाश )**
विशेष सचिव।

**संख्या- /997(1)/58-2-2013, तद्दिनांक-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**( अमरनाथ उपाध्याय )**
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in